आर टी आई मामला

संख्या 14036/678/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 13/1/2014

सेवा में

अरुण कुमार
ग्राम-पोस्ट- वारोटा
तहसील-गोहाना
जिला-सोनीपत
हरियाणा-131301

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 24.10.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 27.12.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी दिनांक 26.09.2013 की शिकायत इस अनुभाग में प्राप्त हुई थी तथा इसे इस मंत्रालय के दिनांक 11.11.2013 के पत्र सं. 14036/1/2013-यू टी पी (खण्ड-III) के तहत दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दिया गया था तथा इस अनुभाग में प्राप्त आपकी दिनांक 2.7.2013 की शिकायत को सी एस प्रभाग, गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था। इसलिए, आपकी शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग किए जाने संबंधी आपका वर्तमान आर टी आई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दिल्ली पुलिस और सी एस प्रभाग को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

चित्रा नारायण

(चित्रा नारायण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-I)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. श्री के. मुरलीधरन, निदेशक (सी एस-I), एन डी सी सी-II भवन, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-आवेदक को सीधे अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु आर टी आई आवेदन की एक प्रति संलग्न है।

2. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति, इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।